झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

संख्या–10/मानकी, मुण्डा सम्मान राशि–49/2017 2036/रा., दिनांक– 25-04-17

:: संकल्प ::

विषयः– **गृह विभाग के संकल्प संख्या–1649 दिनांक–11.04.2008 द्वारा मानकी, मुण्डा/ग्राम प्रधान एवं डाकुवा के सम्मान राशि क्रमशः 1500, 1000 एवं 500 रूपये प्रतिमाह के दर में दो गुणा वृद्धि कर मानकी का 3000, मुण्डा/ग्राम प्रधान को 2000 एवं डाकुआ को 1000 रूपये प्रतिमाह करने के संबंध में।**

1. पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) जिलान्तर्गत (कोल्हान एवं पोड़ाहाट क्षेत्र) के परम्परागत ग्रामीण प्रशासन में मानकी, मुण्डा एवं डाकुवा (संदेशवाहक) के अलावे अनेक ग्रामों में ठीकेदार, प्रधान एवं डाकुवा की व्यवस्था है। इसी प्रकार संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों में परम्परागत ग्रामीण प्रधानों की व्यवस्था है।
2. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 तक मानकी को रू0 1500, मुण्डा/ग्राम प्रधान को रू0 1000 एवं डाकुआ को 500 रूपये के दर से प्रतिमाह सम्मान राशि का भुगतान किया जाता रहा है।
3. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में इनके सम्मान राशि में दो गुणा बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है।
4. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व की व्यवस्था को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित किये जाने हेतु निदेश दिया गया है।
5. उक्त बजट घोषणा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में गैर योजना मुख्यशीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघुशीर्ष–101–संग्रहण प्रभार, उपशीर्ष–01–मानकी/मुण्डा/डाकुवा/प्रधान/ठीकेदार के लिए सम्मान के अंतर्गत मानदेय इकाई में 20,00,00,000/– (बीस करोड़) रूपये का उपबंध कराया गया है।

अतः मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–18.04.2017 के मद संख्या–03 में लिये गये निर्णय के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किये गये बजट घोषणा के अनुसार मानकी को रू0 3000.00, मुण्डा/ग्राम प्रधान को रू0 2000.00 एवं डाकुआ को 1000.00 रूपये के दर से प्रतिमाह सम्मान राशि का भुगतान किया जायेगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

(कमल किशोर सोन)

सरकार के सचिव